प्रेस विज्ञप्ति

20/12/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद आंचलिक कार्यालय ने 19.12.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद में मेसर्स सीएसके रियल्टर्स लिमिटेड, मेसर्स सिंह मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित अग्रवाल से संबंधित दो परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित अग्रवाल के परिसरों में की गई तलाशी में 5.42 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण और सोना बरामद किया गया और जब्त किया गया तथा 72.75 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की गई। जब्त की गई कुल राशि लगभग 6.15 करोड़ रुपये है।इसके अलावा, संदिग्ध और बेहिसाबी नकदी लेनदेन, संपत्ति के दस्तावेज आदि को इंगित करने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए।

ईडी ने मैसर्स एसआईवीआईपीएल और अन्य समूह संस्थाओं द्वारा आरंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं के निवेशकों/खरीदारों की शिकायतों के आधार पर आईपीसी, 1860 के तहत मैसर्स एसआईवीआईपीएल, बी लक्ष्मीनारायण और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। मेसर्स एसआईवीआईपीएल, बी. लक्ष्मीनारायण और अन्य ने आवासीय परिसर के निर्माण के लिए संभावित खरीदारों से भारी मात्रा में राशि एकत्र की, लेकिन फ्लैट देने या उनके पैसे वापस करने में विफल रहे और इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया।

ईडी की जांच में पता चला कि एसआईवीआईपीएल के पास आवश्यक वैधानिक अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, परियोजना के लिए कोई एस्क्रो खाता नहीं था और निवेशकों से प्राप्त धन विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था और नकद में भी एकत्र किया गया था। जांच से पता चला कि मेसर्स एसआईवीआईपीएल ने साहिती समूह द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में इन्वेंट्री की बिक्री के झूठे बहाने से घर खरीदारों से अग्रिम लेकर 842.15 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) अर्जित की। इसमें से 216.91 करोड़ रुपये नकद में घर खरीदारों से एकत्र किए गए थे, जो कभी भी खातों की पुस्तकों में नहीं आए और मेसर्स एसआईवीआईपीएल के प्रमोटरों/निदेशकों द्वारा उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए छुपाए गए थे। बिना किसी वास्तविक कारोबार के जाली बैंकिंग लेन-देन निष्पादित करके मैसर्स एसआईवीआईपीएल की निधियों को संबंधित और साथ ही असंबद्ध कंपनियों/व्यक्तियों को डायवर्ट करके अपराध की आय का गबन किया गया।

जांच के दौरान, यह पाया गया कि सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित अग्रवाल की कंपनियों ने मैसर्स एसआईवीआईपीएल के साथ 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के उच्च मूल्य के लेनदेन किए और संपत्तियों की बिक्री और खरीद में शामिल रहीं। सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित ने पूछताछ में आनाकानी की/सम्मन के जवाब में उपस्थित नहीं हुए और अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, जिससे चल रही जांच में सहयोग नहीं मिला।

ईडी ने इससे पहले मामले में 161.5 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। इसके बाद, मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बी. लक्ष्मीनारायण को 29.09.2024 को गिरफ्तार किया गया। मैसर्स एसआईवीआईपीएल और बी लक्ष्मीनारायण के खिलाफ माननीय एमएसजे कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई है

और माननीय न्यायालय ने 04.12.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। मैसर्स एसआईवीआईपीएल के प्रबंध निदेशक बी लक्ष्मीनारायण अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।

.